



धारा III (विधिवत् 7 (1) D (d) केबल)
Form III (see Regulation 7 (1) D (d))



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION
(सह रूप एकरिटेड, केंद्रित/अनुरूप प्रमाणन)
(सह रूप एकरिटेड, केंद्रित/अनुरूप प्रमाणन)
(सह रूप एकरिटेड, केंद्रित/अनुरूप प्रमाणन)
(सह रूप एकरिटेड, केंद्रित/अनुरूप प्रमाणन)

लाइसेंस संख्या/संश्लेषण - ७००३०२६.१
Licence No QSCL-7003085.1

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अन्वय में, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants to

से, ऑटोमैटिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड,
नियामक भवन, अन्तर्राष्ट्रीय नगर
मुंबई 400 094

M/s Atomic Energy Regulatory Board,
Niyamak Bhavan, Anushaktinagar,
Mumbai 400 094

को (जिसे इसके बाद लाइसेंसधारियों द्वारा गण्य है) इसके अन्वय में भारत एवं से बाहिर उत्पत्ती की/वा सेकाओं वा प्रक्राओं के संश्लेषण में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के (रिजिस्टररी) से उनी संख्या से दर्शावट होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदानकरण है, जो इस लाइसेंस को है। इस प्रकार के उत्पन्न की/वा सेका वा प्रक्रा लाइसेंसधारियों द्वारा आई एन सी १००१: १००६ के अन्वय में गुणता प्रबंध पद्धति के अन्वय में प्रदान करा कला ग्य की (एन) पर निर्भर प्रदर्श/प्रमाणन किया जायेगा।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2008

2. यह लाइसेंस एन लाइसेंस का विधिवत् करने वाले उत्पन्न प्रमाणन और उसके अन्वय में, ग्य प्रामां और विधिवत् के अन्वय में गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के (रिजिस्टररी) से उनी संख्या से दर्शावट होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदानकरण है, जो इस लाइसेंस को है। इस प्रकार के उत्पन्न की/वा सेका वा प्रक्रा लाइसेंसधारियों द्वारा आई एन सी १००१: १००६ के अन्वय में गुणता प्रबंध पद्धति के अन्वय में प्रदान करा कला ग्य की (एन) पर निर्भर प्रदर्श/प्रमाणन किया जायेगा।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस ९ नवम्बर २००९ से ८ नवम्बर २०१२ तक देय होगा और इसका विधिवत् के अन्वय में नवीकरण किया जा सकता।
This licence shall be valid from 9 November 2009 to 8 November 2012 and may be renewed as described in the Regulations.

यह २०१० के जनवरी के चारवासे के दिन समाप्तित एवं मुद्रांकित
Signed, Sealed and Dated this Twelfth Day of January 2010.

Q. K. Khurshid

उपनिदेशक (पश्चिम)
DEPUTY DIRECTOR GENERAL (WESTERN)
भारतीय मानक ब्यूरो के निरा
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS